

सं०सं० -12/प०-बजट-11-15/2018

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

10(12)अ
30/07/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह (भा०प्र०से०),
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
बिहार।

विषय : मुख्य शीर्ष 2211-परिवार कल्याण उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य समूह शीर्ष- राज्य स्कीम के अन्तर्गत उप शीर्ष-0102- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल राशि रुपये 2,80,00,00,000 (दो सौ अस्सी करोड़ रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

2 - विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-09 (12) ब दिनांक-30.07.2018 के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत संपूर्ण टीकाकरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिये रू० 2,80,00,00,000 (दो सौ अस्सी करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

3 - उपर्युक्त राशि का विकलन विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग संख्या-20 विपत्र कोड संख्या-20-2211001030102 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रावधानित राशि रुपये 2,80,00,00,000 (दो सौ अस्सी करोड़ रुपये) मात्र से की जायेगी।

4 - संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं 159वि०(2), दिनांक-20.03.2009 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5 - आवंटित राशि संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा संबंधित कार्यालयों को उपावंटित की जायेगी तथा उस राशि की निकासी एवं व्यय उस कार्यालय के निकासी सह व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

6 - इस योजना के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।


7 - असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए प्राप्त आवंटन से संबंधित जिला के सभी स्वास्थ्य विभागीय निकासी सह व्ययन पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार उपावंटन करेंगे।

8 - इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2211-परिवार कल्याण उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य समूह शीर्ष- राज्य स्कीम के अन्तर्गत उप शीर्ष-0102- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना के अन्तर्गत वहन होगा तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9 - व्यय राशि की जिला स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के सिविल सर्जन की होगी। सिविल सर्जन व्यय की राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।


10 - सभी निकासी-सह-व्ययन पदाधिकारी सही प्रपत्र में भरकर पाये गये सही आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर लामार्थियों के खाते में राशि का भुगतान PFMS/CFMS/RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11 - इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।



(राधेश्याम साह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 10 (12) 

/स्वा0, पटना, दिनांक:- 30/07/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक/राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/संबंधित जिले के सभी विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख/अपर निदेशक (प0क0)/प्रशाखा पदाधिकारी-12, लेखा शाखा एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।

मुख्य शीर्ष-2211 परिवार कल्याण
लघु शीर्ष-103-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य समूह
उपशीर्ष-0102-मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
पूर्णतः राज्य योजना

विपत्र कोड- 20-2211001030102
आवंटन
वित्तीय वर्ष-2018-19

क्र० सं०	जिला का नाम	अनुमानित कन्या शिशुओं की संख्या	आवंटित राशि
1	पटना	62987	125974000
2	नालंदा	37092	74184000
3	गया	54600	109200000
4	जहानाबाद	13614	27228000
5	अरवल	8715	17430000
6	औरंगाबाद	32464	64928000
7	नवादा	27197	54394000
8	भोजपुर	32448	64896000
9	बक्सर	20815	41630000
10	रोहतास	37739	75478000
11	कैमूर (ममुआ)	20448	40896000
12	मुजफ्फरपुर	62450	124900000
13	बैशाली	48483	96966000
14	सीतामढ़ी	49236	98472000
15	शिवहर	10476	20952000
16	सारण	47800	95600000
17	सिवान	43203	86406000
18	गोपालगंज	32001	64002000
19	पंचम्यारण	57881	115762000
20	पूंचम्यारण	78275	156550000
21	दरभंगा	51655	103310000
22	समस्तीपुर	62207	124414000
23	मधुबनी	56007	112014000
24	बेगूसराय	39706	79412000
25	मुंगेर	16703	33406000
26	शेखपुरा	8993	17986000
27	लखीसराय	11933	23866000
28	जमुई	23373	46746000
29	खगड़िया	26648	53296000
30	भागलपुर	39923	79846000
31	बांका	26465	52930000
32	सहरसा	30661	61322000
33	सुपौल	32336	64672000
34	मधेपुरा	31192	62384000
35	पूर्णिया	46600	93200000
36	अररिया	45406	90812000
37	किशनगंज	27141	54282000
38	कटिहार	45127	90254000
कुल योग		1400000	2800000000

10(12)अ
30/07/2018

कुल योग-2800000000 (दो सौ अस्सी करोड़) रूपये मात्र

सरकार के आग्र सचिव

पत्र सं०-e.gov./CFMS-12/20185788.....

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

प्रेषक,

डॉ० कामेश्वर ओझा,
संयुक्त आयुक्त (लेखा)।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार, (बिहार भवन, नई दिल्ली को छोड़कर)।

पटना, दिनांक01/8/18


विषय :- वित्त विभाग द्वारा प्रथम अनुपूरक आगणन में विपत्र कोड -
20-2211001030102 में उपबंधित कराये गये रू०
2,80,00,00,000/- (दो सौ अस्सी करोड़) मात्र के आवंटन के
CTMIS में प्रविष्टि करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रथम अनुपूरक आगणन में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत सम्पूर्ण टीकाकरण योजना के लिए नया बजट शीर्ष 20-2211001030102 में कुल रू० 2,80,00,00,000/- (दो सौ अस्सी करोड़) मात्र उपबंधित किया गया है। जिसे आवंटनादेश संख्या 10(12) दिनांक 30.07.21018 के द्वारा सभी सिविल सर्जनों को आवंटित किया गया है। उक्त आवंटन के आलोक में सिविल सर्जनों द्वारा यह राशि जिला के अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को आवंटित किया जायेगा। उक्त बजट उपबंधित राशि को CFMS में अंतरित करने की व्यवस्था नहीं की गयी है, इसलिए उपबंधित राशि का आवंटन CFMS से देना संभव नहीं है।

अतः निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विपत्र कोड में निर्गत उक्त आवंटनादेश तथा इस आवंटनादेश के आलोक में संबंधित सिविल सर्जन द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर संबंधित डीडीओ को आवंटित राशि की प्रविष्टि CTMIS में करने की सहमति दी जाती है।

विश्वासभाजन,


31.7.2018
(कामेश्वर ओझा)

संयुक्त आयुक्त (लेखा)।

ज्ञापांक- e.gov./CFMS-12/2018

दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री राधेश्याम साह, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

dh
31.7.2018

(कामेश्वर ओझा)

संयुक्त आयुक्त (लेखा)।